मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–273 / 2024

जयभगवान पुत्र राम रूप जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 16 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

करूण कुमार पुत्र जयभगवान जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 16 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा ।

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

दिनांक :–24-06-25

वादीया की ओर से श्री धन्नाराम सुथार अधिवक्ता, व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को **अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, तहसीलदार रिपोर्ट एवं प्रस्तुत शपथ पर एवं दस्तावेजों के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वादपत्र **आंशिक स्वीकार कर** निम्नानुसार घोषणा की जाती है कि – चक 30 एसटीजी प.नं. 30 / 319 (8) किला नं. 1 / 2 / 0.025, 2 / 2 / 0.025 प्रत्येक किला मे 2–2 बिश्वा गै. मु.खाला के अंकन को राजस्व रिकॉर्ड से कलजन कर वादी सं. 1 को उक्त कृषि भूमि खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी सं. 2 के नाम वर्णित कृषि भूमि के प.नं. 30 / 319 (8) किला नं. 3 / 2 / 0.025, 4 / 2 / 0.025, 5 / 2 / 0.051 मे से 0.025 (उत्तर दिशा की तरफ से) हैक. प्रत्येक किला मे 2–2 बिश्वा गै. मु. खाला की भूमि के अंकन को राजस्व रिकॉर्ड से कलजन कर वादी सं. 2 को उक्त कृषि भूमि का खातेदार काश्ताकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न [illegible] दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन [illegible] जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.07.17 10:58:19 IST
Reason: SelfAttested

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह [illegible] आज दिनांक 24-07-[illegible] को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़